न्यायालय सिविल जज जू.डि./न्यायिक मजिस्ट्रेट दुद्धी सोनभद्र

परिवाद संख्या 408/2016

सुजीत कुमार बनाम आनन्द कुमार वगैरह

14.05.2016 व 15.05.2016 अवकाश
16.05.2016

पत्रावली पेश हुई। पुकार परिवादी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज तलबी बहस हेतु नियत है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को तलबी बहस पर सुना । पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया ।

यह परिवाद परिवादी के द्वारा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि घ्ट ाटना दि0 26.10.2015 को समय करीब 4.00 बजे सायं की है। परिवादी की दूकान है विपक्षीगण परिवादी के दूकान पर आये सामान लिये तथा विना पैसा दिये वापस चले गये । जब परिवादी ने पैसे की मॉग की तो विपक्षीगण परिवादी को भददी भददी गाली दिये तथा मारे पीटे । तथा परिवाद के समर्थन मे स्वंय को धारा 200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबन्धानुसार कराया गया है जिसमे कथन किया गया है कि :– विपक्षीगण मेरे घर के हैं।रजिश है। आज तीन महीना हो गया । आनन्द मेरी दूकान सेघर का सामान लेकर जाने लगे मैंने पैसा मॉगा तो गाली गुप्ता दिये तथा देव सरन, भूपेन्द, रूपेश भी आकर मारने लगे मेरी पत्नी आयी तो उसे मारे ।

परिवादी की ओर से अपने परिवाद के समर्थन मे धारा 202 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्राविधानानुसार साक्षीगण सी डब्लु 1प्रदीप कुमार व सी डब्लु 2कृअशोक कुमार को प्रस्तुत कर परीक्षित कराया गया है जिनके द्वारा परिवाद के तथ्यो को अपने साक्ष्य से समर्थित किया गया है।

उपरोक्त के आलोक मे परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुनने व अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन उपरान्त न्यायालय का यह निष्कर्ष है विपक्षीगण आनन्द, देव शरण, भूपेन्द्र,रूपेश के विरूद्ध अभिलेख पर धारा 323,504 भारतीय दण्ड संहिता के विचारण योग्य साक्ष्य विद्यमान है व वे इन अपराधो के विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण आनन्द, देव शरण, भूपेन्द्र,रूपेश को धारा 323,504 भारतीय दण्ड संहिता के विचारण हेतु तलब किया जाता है। उन्हे जरिये समन तलब किया जाय। परिवादी विधिअनुसार पैरवी करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते उपस्थिति अभियुक्तगण दिनांक 28.06.2016 को पेश हो

सिविल जज जू.डि./ न्यायिक मजिस्ट्रेट
दुद्धी सोनभद्र